

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज0)

मु.नं. 31/18

सरकार

बनाम

श्री : रामलाल पुत्र चिरमौली

जाति जाटव

नि. झाडीसा कापुरा

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

निर्णय दिनांक: 31/07/18

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण वृत्तान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 LR Act

1956 इस आशय की पेश की गई कि अतिक्रमी श्री रामलाल पुत्र श्री चिरमौली

जाति जाटव निवासी झाडीसा कापुरा तहसील महवा ने संवत् 2075 फसल रवि/ खरीफ में

ग्राम वाड़ा बुधुगी की राजकीय आराजी खसरा नं. 370 रकबा 5.99 किस्म जे.मु. नाला

भूमि से 0.08 रकबा पर अनाधिकृत रूप से बाजरा कर अतिक्रमण किया है।

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है।

अतिक्रमी हाजिर हुआ। अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया। अतिक्रमी की ओर से अतिक्रमण करने का कोई ठोस जवाब पेश नहीं किया गया। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। जो राज.भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।

अतः अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं व भूमि के वार्षिक लगान रूपये 1.60 का 50 गुना 80 रु. राशि की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया जाता है तथा इस पर खड़ी फसल बाजरा को नीलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एवं वसूली हेतु पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक को बेदखली तथा खड़ी फसल को नीलामी हेतु लिखा जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकमील लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रजिस्टर ग/घ के पेंज नं० 141 पर
वर्ष 2018 में पेटवारी/फसल नीलामी
की राशि तादादी रूपये 80-160 का 50 गुना 80 रु.
की जमा कायमी की गई।
दिनांक
तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील-महवा

तहसीलदार
तहसील-महवा (दौसा)
तहसील महवा जिला दौसा